अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2020 (RCMS 2020/00106) साहबराम विद्यार्थी, आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता, वार्ड नं. 19 सादुलशहर (मोबाईल नं. 94132–32806) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

28.09.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनांक 15.07.2020 को उपस्थित हुआ था और उसके द्वारा लिखित बहस पेश की गई थी। आज अपीलार्थी साहबराम स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2020 प्रस्तुत करके एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही थी:

> सादुलशहर विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय गंगानगर से प्राप्त पीओएल कूपन तथा प्रत्येक वाहन के लिये उपयोग किये गये कूपन की संख्या व पेट्रोल–डीजल की मात्रा व जिला निर्वाचन अधिकार से मिले कूपनों में से कितने कूपन जिला निर्वाचन अधिकारी गंगानगर को वापस लौटाये गये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी पत्रांक 99 दिनांक 03.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी शुल्क (प्रति 14X2=28) 28 रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक 3160 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा लिखा गया था। आप द्वारा फोटोकॉपी शुल्क चालान द्वारा भरवाकर कार्यालय हाजा में चालान की कॉपी प्रस्तुत की है। आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	आवेदन पत्र का बिन्दू	सूचना
1.	सादुलशहर विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय गंगानगर से प्राप्त पीओएल कूपन तथा प्रत्येक वाहन के लिये उपयोग किये गये कूपन की संख्या व पेट्रोल–डीजल की मात्रा व जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले कूपनों में से कितने कूपन जिला निवार्चन अधिकारी गंगानगर को वापस लौटाये गये।	आवेदन पत्र की बिन्दू संख्या 01 से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो के रूप में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में थी फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं पत्रांक 99 दिनांक 03.07.2020 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकरी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर